(वाद सं0.-5807/17)

19.12.2019

उपस्थिति हेतु नोटिस दिये जाने के बावजूद भी परिवादी शांति कुँवर अनुपस्थित है।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से मांगा गया प्रतिवेदन अप्राप्त है।

परिवाद पत्र का अवलोकन किया परिवादी का कथन है कि उसके पुत्र जगजीवन मुसहर की सड़क दुर्धटना मे जख्मी होने के बाद सदर अस्पताल भभुआ के चिकित्सक डा0 अरविन्द्र कुमार तथा उनके आदेशपाल अनिल कुमार की लापरवाही से मृत्यु हो गई।

परिवाद पत्र के साथ संलग्न कागजातो से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सड़क दुर्धटना को लेकर परिवादी की ओर से उसके पुत्र की अगले दिन मृत्यु हो जाने पर कैमूर जिला अन्तर्गत भगवानपुर थाना कांड सं0 110/17 दिनांक 03.08.2017 संस्थित किया गया जिसमे परिवादी द्वारा उपरोक्त कथित चिकित्सक व उसके आदेशपाल पर इलाज में लापरवाही करने का कोई अभियोग/आरोप नहीं लगाया गया। अपितु, सम्बन्धित वाहन के तेजी और लापरवाही के कारण उसके पुत्र की मृत्यु का उल्लेख किया गया है जिसके संबंध मे भा0द0सं0 की धाराओं 279/304–A/427 के अन्तर्गत भगवानपुर थाना कांड सं0 110/17 दिनांक 03.08.2017 संस्थित किया गया है। उसी दिन स्थानीय नेताओं के उकसाने पर मृत्तक के शव को सड़क पर रखकर जाम कर विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई जिसके आलोक में भा0द0सं0 की धाराओं 147/ 148/ 149/332/283/353/504 के अन्तर्गत भगवानपुर थाना कांड सं0 112/17, दिनांक 03. 08.2017 में 9 नामांकित तथा कई अज्ञात महिला एवं पुरूष के विरूद्ध संस्थित किया गया जिसमें भी सदर अस्पताल, भभुआ के उपरोक्त चिकित्सक व उनके आदेशपाल की लापरवाही से परिवादी के पुत्र की मृत्यु होने का उल्लेख नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.08.2017 के "प्रभात खबर" नामक समाचार पत्र मे उपरोक्त धटना को विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमे सदर अस्पताल के उपरोक्त चिकित्सक व उसके आदेषपाल के मृतक की चिकित्सा के क्रम मे लापरवाही किये जाने

का उल्लेख नहीं है वल्कि यह उल्लेख है कि मृत्तक की हालत बिगड़ने पर उसके परिजन उसके बेहतर चिकित्सा हेतु उसे एक निजी अस्पताल मे ले गये जहाँ 01:00 बजे दिन मे उसकी मृत्यु हो गई तथा प्रशासन द्वारा नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान भी किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाती है। तद्नुसार प्रस्तुत परिवाद के उल्लेखित तथ्यों को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार आदेश की प्रति साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक